



दूरभाष :05852-234892

# महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

हरदोई (उठप्र)



**PROSPECTUS**

**विवरणिका**

एवं  
**प्रवेश आवेदन-पत्र**

मूल्य : 50/- रुपये

# महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई।

## महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई नगर में सीतापुर बाईपास रोड पर ओम नगर के निकट स्थित है। उ0प्र0 शासन द्वारा पिछड़े एवं असेवित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के प्रसार की नीति के अन्तर्गत स्थानीय जनता की माँग पर तथा जन प्रतिनिधियों के प्रयासों से शासनादेश संख्या 5345 / 19—79(11)(2) (3) / 79 दिनांक: 06 नवम्बर 1979 द्वारा इस महाविद्यालय की स्थापना की गयी। प्रारम्भ में नगर के मध्य में केन सोसाइटी के खाली पड़े भवन में शैक्षिक सत्र 1979—80 में स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य की कक्षाएं प्रारम्भ की गयी। कालान्तर में महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार हो गया और वर्ष 1997 में महाविद्यालय एक विशाल परिसर में वर्तमान भवन में स्थानान्तरित हो गया।

निरन्तर विकास के क्रम में तथा समाज के साधन विहीन मेधावी छात्र/छात्राओं के भविष्य के विकास को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 शासन ने वर्ष 1995 से वाणिज्य संकाय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम0कॉम की कक्षाएं संचालित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की। इसी क्रम में विज्ञान संकाय में भी स्नातकोत्तर कक्षाएं समस्त उपलब्ध विषयों यथा गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान वनस्पति विज्ञान तथा प्राणि विज्ञान में संचालित करने की स्वीकृत उ0प्र0 शासन से वर्ष 1998 में प्राप्त हो गयी। पुनः महाविद्यालय के विकास के क्रम में वर्ष 2007—2008 में बी0एड0 की कक्षाएं प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृति उ0प्र0 शासन से प्राप्त हुई।

वर्तमान में महाविद्यालय नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं, अध्ययन कक्षों, प्राध्यापक कक्षों, छात्र एवं छात्राओं हेतु वाचनालयों, क्रीड़ा कक्षों, पुस्तकालय तथा प्रशासकीय खंड के साथ उपलब्ध है। बी0एड0 कक्षाओं हेतु नवीन भवन एवं एक आडिटोरियम हॉल भी उपलब्ध हैं। विशाल भवन के साथ—साथ महाविद्यालय में पूर्ण विकसित क्रीड़ांगन, साईकिल स्टैण्ड तथा कैन्टीन भी उपलब्ध हैं। महाविद्यालय परिसर विभिन्न प्रकार के वृक्षों से आच्छादित है तथा शैक्षिक गतिविधियों हेतु एक सुरक्ष्य स्थल है।

प्रगति के उत्तरोत्तर क्रम में महाविद्यालय के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) बैंगलोर द्वारा आए हुए दल ने अक्टूबर 2010 में महाविद्यालय का तीन दिवसीय निरीक्षण किया। प्रवास के दौरान निरीक्षण दल ने महाविद्यालय में विद्यमान अवस्थापना सुविधाओं यथा भवन, प्रयोगशालाएं, व्याख्यान कक्षों, कार्यालय, पुस्तकालय क्रीड़ा सम्बन्धी सुविधाओं तथा कम्प्यूटर प्रयोगशाला आदि का अवलोकन किया साथ ही महाविद्यालय के प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों से व्यापक विचार—विमर्श किया निरीक्षण के उपरान्त नैक द्वारा महाविद्यालय को 'बी' श्रेणी के साथ मूल्यांकित घोषित करते हुए प्रमाण—पत्र प्रदान किया गया।

## उपलब्ध पाठ्यक्रम

### विज्ञान संकाय

स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत 04 वर्षीय (08 सेमेस्टर) बी0एस–सी0 (गणित एवं बायोलॉजी) पाठ्यक्रम सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित है। निम्नलिखित विषय वर्गों में से किसी एक विषय वर्ग का चयन किया जा सकता है। बी0एस–सी0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निर्धारित अकादमिक सूचकांक (ऐकेडेमिक इंडेक्स) के आधार पर तैयार की गयी प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) एवं काउंसलिंग द्वारा चयनोपरांत किये जायेंगे।

#### बी0एस-सी0 गणित वर्ग

1 भौतिक विज्ञान

2 रसायन विज्ञान

3 गणित

#### प्रवेश योग्यता-

इण्टरमीडिएट विज्ञान (गणित वर्ग) या समकक्ष परीक्षा में सामान्य एवं ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अंक एवं अनु0जाति / जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। यह प्रतिशत समस्त विषयों के प्राप्तांकों पर आधारित है।

#### बी0एस-सी0 बायोलॉजी वर्ग

1 जन्तु विज्ञान

2 वनस्पति विज्ञान

3 रसायन विज्ञान

#### प्रवेश योग्यता-

इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायो वर्ग) या समकक्ष परीक्षा में सामान्य एवं ओ0बी0सी0 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अंक एवं अनु0जाति / जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। यह प्रतिशत समस्त विषयों के प्राप्तांकों पर आधारित है।

#### एम0एस-सी0-

महाविद्यालय में एम0 एससी0 पाठ्यक्रम द्विवर्षीय (04 सेमेस्टर) 05 विषयों में संचालित है। इन सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निर्धारित अकादमिक सूचकांक (ऐकेडेमिक इंडेक्स) के आधार पर तैयार की गयी प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) अथवा प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग द्वारा चयनोपरांत किये जायेंगे। परास्नातक स्तर पर निम्नलिखित विषयों में एम0एस–सी0 पाठ्यक्रम संचालित हैं—

- |                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 1. गणित            | 2. भौतिक विज्ञान | 3. रसायन विज्ञान |
| 4. वनस्पति विज्ञान | 5. जन्तु विज्ञान |                  |

### **प्रवेश योग्यता-**

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से अन्तिम वर्ष में सम्बन्धित विषय के साथ बी०एस०सी० त्रिवर्षीय स्नातक अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम में सामान्य एवं ओ०बी०सी० वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 45 प्रतिशत अंक एवं अनु०जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

### **वाणिज्य संकाय**

#### **बी०कॉम०**

वाणिज्य संकाय में बी० कॉम० एवं एम०कॉम० की कक्षायें संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अन्तर्गत 04 वर्षीय (08 सेमेस्टर) बी०कॉम० पाठ्यक्रम में सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रवेश प्रदान किया जायेगा। बी०कॉम० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निर्धारित अकादमिक सूचकांक (ऐकेडेमिक इंडेक्स) के आधार पर तैयार की गयी प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) एवं काउंसलिंग द्वारा चयनोपरांत किये जायेंगे।

#### **प्रवेश योग्यता-**

वाणिज्य में इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा अथवा अर्थशास्त्र या गणित में से किसी एक विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा में सामान्य एवं ओ०बी०सी० वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 40 प्रतिशत अंक एवं अनु०जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 33 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं। यह प्रतिशत समस्त विषयों के प्राप्तांकों पर आधारित है।

#### **एम०कॉम०-**

महाविद्यालय में एम०कॉम० पाठ्यक्रम द्विवर्षीय (04 सेमेस्टर) संचालित है। प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश निर्धारित अकादमिक सूचकांक (ऐकेडेमिक इंडेक्स) के आधार पर तैयार की गयी प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) एवं काउंसलिंग द्वारा चयनोपरांत किये जायेंगे।

#### **प्रवेश योग्यता-**

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से वाणिज्य में त्रिवर्षीय स्नातक (बी०कॉम० / बी०कॉम० ऑनर्स) या समकक्ष पाठ्यक्रम में सामान्य एवं ओ०बी०सी० वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 48 प्रतिशत अंक एवं अनु०जाति/जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम प्राप्तांक 43 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।

### **शिक्षा संकाय**

उ०प्र० शासन के पत्र सं० 2056 / सत्तर-५ / 2005, उच्च शिक्षा अनुभाग-५, अगस्त 2005 के तारतम्य में पत्रांक सं० 646 ए / सत्तर-५-2006-41(1) / 2007 उच्च शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 24 नवम्बर, 2009 द्वारा महाविद्यालय में बी०एड० की 100 सीटों की मान्यता प्रदान की गई है। वर्तमान में बी०एड० में प्रवेश उ०प्र० राज्य बी०एड० संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाता है।

## शोध निर्देशन

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा महाविद्यालय के विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं शिक्षा संकाय के प्राध्यापकों को शोध निर्देशक के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। शोधार्थी लखनऊ विश्वविद्यालय, के पी0एचडी0 प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त कर विद्वान प्राध्यापकों के निर्देशन में पंजीकरण कराकर शोध कार्य पूर्ण कर पी0एचडी0 की उपाधि से समलंकृत हो सकते हैं।

### प्रवेश आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी निर्देश

#### (अ) स्नातक स्तर:-

बी0एस–सी0 तथा बी0 कॉम0 प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक प्रवेशार्थी आवेदन–पत्र स्वच्छ लिखावट में भरें। आवेदन पत्र का कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी माता / पिता / अभिभावक / संरक्षक को हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करने होंगे। अतः उस स्थान को प्रवेश पत्र जमा करते समय रिक्त छोड़ दें।

#### आवेदन–पत्र के साथ निम्न प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

1. लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण द्वारा प्राप्त LURN की प्रति।
2. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अंक– पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति एवं स्थानान्तरण / प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण–पत्र की छाया प्रति।
5. इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को संस्थागत रूप में अध्ययन की हुई कक्षा का स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र या सांसद / विधायक / विधान परिषद सदस्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. अनुजाति / जनजाति / अन्य पिछळा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) / विकलांग / ई0डब्ल्यू0एस0 / एन0सी0सी0 प्रमाण–पत्र / राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने इत्यादि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश में आरक्षण एवं भारण प्रदान किया जायेगा।
7. अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् एक वर्ष के अन्तराल (गैप) वाले प्रवेशार्थी को किसी भी संस्था में अन्तराल वर्ष (गैप) में प्रवेश न लिये जाने का नोटरी द्वारा रु0 10/- के स्टाम्प पर तैयार शपथ–पत्र की मूल प्रति तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

#### (ब) स्नातकोत्तर स्तर:-

एम0एससी0 एवं एम0कॉम0 सेमेस्टर में प्रवेश के इच्छुक प्रवेशार्थी आवेदन–पत्र को स्वच्छ लिखावट में भरें। आवेदन पत्र का कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी

माता/पिता/अभिभावक/संरक्षक को हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करने होंगे। अतः उस स्थान को प्रवेश पत्र जमा करते समय रिक्त छोड़ दें।

आवेदन—पत्र के साथ निम्न प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

1. लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण द्वारा प्राप्त LURN की प्रति।
2. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
3. हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4. स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की अंकतालिका एवं उपाधि (डिग्री) की छाया प्रति।
5. अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र की मूल प्रति एवं स्थानान्तरण/माईग्रेशन प्रमाण—पत्र (माईग्रेशन—यदि स्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो तो) की छाया प्रति।
6. अनु0जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)/विकलांग/ई0डब्ल्यू0एस0/ एन0सी0सी0 प्रमाण—पत्र/राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद में भाग लेने इत्यादि से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण—पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा जिनके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत प्रवेश में आरक्षण एवं भारण प्रदान किया जायेगा।
7. यदि स्नातक परीक्षा/अहंता परीक्षा के बाद प्रवेश लेने में अन्तराल हो तो अन्तराल के कारण का 10 रु. के स्टाम्प पेपर पर निर्गत नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ—पत्र तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

### प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शैक्षिक सत्र जुलाई से प्रारम्भ की जाती है जो शासनादेशानुसार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर ली जाती है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाओं में निर्धारित तिथि के बाद कोई प्रवेश मान्य नहीं किया जाता है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के नियम व शर्तें लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ/उ0प्र0 शासन/महाविद्यालय प्रवेश समिति के अधीन होंगे। अतः किसी भी परिवर्तन के लिए उ0 प्र0 शासन/लखनऊ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रवेश समिति का अंतिम आदेश मान्य होगा।
3. प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्धारित योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) और काउन्सलिंग के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची से ही पूर्ण की जाती है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विकलांग के चयनित अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट पर लगा दी जाती है।
4. प्रवेशार्थियों की सम्पूर्ण सूची कक्षावार एक बार में घोषित कर दी जायेगी जो प्रवेशार्थियों द्वारा आवेदन—पत्र में दी गयी सूचना एवं प्रमाण—पत्र के आधार पर बनायी जायेगी। गलत सूचना देने पर प्रवेशार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

5. प्रवेश सम्बन्धी आवेदन—पत्र महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि से प्राचार्य कार्यालय द्वारा वितरण एवं निर्धारित अवधि में ही पूरित कर जमा किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद न कोई आवेदन—पत्र वितरित किया जायेगा और न ही जमा किया जायेगा।
6. वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) के हैं तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हे ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत माने जायेंगे।
7. आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश शासन/लखनऊ विश्वविद्यालय के विनियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।
8. जाति तथा आय प्रमाण पत्र को शासन/विभाग की वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा।
9. छात्रत्व के दौरान रैगिंग जैसी कुत्सित घटना में सम्मिलित होने पर छात्र के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. **आरक्षण / Reservation**  
सभी आरक्षण राज्य सरकार की नीतियों और विश्वविद्यालय के निम्नलिखित दिशा—निर्देशों के अनुसार दिए जाएंगे—

उधारधार/ Vertical		क्षैतिज आरक्षण/ Horizontal
अनुसूचित जाति	21%	विकलांगों के लिए (दृष्टि बाधितों हेतु 1% को सम्मिलित करते हुए) 5%
अनुसूचित जनजाति	2%	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री के लिए 2%
अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)	27%	सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिकों 'स्वयं' अथवा शारीरिक रूप से विकलांग सैनिकों अथवा युद्ध में शहीद हुये सैनिकों अथवा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सेवारत सैनिकों के पुत्र/पुत्री के लिए 5%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	10%	

11. भारण— उत्कृष्ट खिलाड़ी (राज्य स्तर पर) (03 अंक), सांस्कृतिक पिछले 03 वर्षों में विशेष उपलब्धि, (03 अंक), एन0सी0सी0 “बी”/“सी” प्रमाण—पत्र (03 अंक), एन0एस0एस0 (राज्य स्तर पर) (03 अंक), स्काउट एवं गाइड (राष्ट्रीय स्तर पर), (03 अंक), प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु भारण के फलस्वरूप अर्जित प्राप्तांक संयुक्त मेरिट में जोड़कर उनका योग्यता क्रमांक योग्यता सूची में निर्धारित किया जायेगा तथा भारण का कुल योग 05 प्रतिशत से अधिक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) श्रेणी के आवेदकों को काउन्सिलिंग के समय प्रवेश वर्ष की 1 जुलाई से तीन वर्ष पूर्व तक का अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. E.W.S. श्रेणी में प्रवेश प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” (ई.डब्ल्यू.एस.) का प्रमाण पत्र एवं स्वयं घोषणा—पत्र प्रस्तुत करना होगा। E.W.S. प्रमाण—पत्र प्रवेश वर्ष में 01 अप्रैल या उसके पश्चात् जारी होना चाहिये।

14. शासन अथवा उच्च शिक्षा विभाग एवं महाविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर ऐसे प्रवेशार्थियों को प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा:-

(क) जिह्वे इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण किये 01 वर्ष से अधिक हो गया हो।

(ख) जो गत वर्ष किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक दिये गये हैं अथवा जिनका परीक्षाफल अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण रोक दिया गया है।

(घ) जिह्वोंने महाविद्यालय में बी0एस—सी0 अथवा एम0एस—सी0, बी0कॉम0 अथवा एम0कॉम0 में गत वर्ष में प्रवेश लिया हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो सके हों।

(ङ) जो किसी भी आपराधिक मामलों में सजायापता हो या जिन पर वर्तमान में कोई अभियोग चल रहा हो अथवा जिनका आचरण संदिग्ध हो।

(च) जिन्होंने निर्धारित काउन्सिलिंग की तिथि को उपस्थित न हुये हों और अपने मूल प्रमाण—पत्रों को प्रस्तुत न किया हो।

(छ) बी0एस—सी0 अथवा एम0एस—सी0 या बी0कॉम0 अथवा एम0कॉम0 के द्वितीय वर्ष की कक्षा में किसी भी प्रकार के स्थानान्तरण की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

### छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति

उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के ऐसे प्रवेशार्थियों को जिनके माता/पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रु0 दो लाख तथा अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु रु0 दो लाख पचास हजार तक है, को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवदेन पत्र ऑनलाइन भरकर जमा करना होगा। आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित सामग्री तथा प्रमाण—पत्र अनिवार्य होंगे—

1. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा जाति हेतु) की छाया प्रति प्रमाणित।

2. माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा दिया गया हो की छाया प्रति।

3. अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की छायाप्रति।

4. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार लिंक खाते की पासबुक की छायाप्रति।

5. आधार कार्ड।

